

108/18

कलुआ vs अनिता 2019/00197

## न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

नांक	फर्द अहकाम
832	अवकाश घोषित
932	<p>पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक...../5.3.21..... को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>9</u></p>
15321	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। वादी वकील ने पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण नं० 2, 3, 4, 6, 8, 18, 20, 21, 24, 26, 30, 32, 37, 39, 46, 48, 50, 53, 56, 58, 64, 65, 68, 71, 75, 76, 81 से 85 के समन तत्पश्चात् एवं प्रतिवादी नं० 10, 16, 34, 36, 38, 44, 51, 69, 70 के फौत हो जाने के बाद कायम मुकाम के प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये हैं। अतः यह दावा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल नुमांर होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>10</u></p> <p style="text-align: center;">(दुर्गा प्रसाद मीना) उपजण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला-करौली</p>